बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सं०सं०–अ०सां०नि० / स्था0–13–04 / 2018......07...... / पटना, दिनांक 04.10-18

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०से०)
निदेशक,।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में मुख्य शीर्ष 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 1,74,83,000 / –(एक करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक–354 / वि० दिनांक–28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका–3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष–02– सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष–204– केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष–0002–राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0– 35 एवं विपत्र कोड–**35–3454022040002** है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण–पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।
7. प्रत्येक परिस्थिति में मदवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 08 वीं तारीख तक CTIMS की सत्यापित प्रति के साथ अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. जिन जिलों में अन्वेषक (रान्यास) पदस्थापित हैं, नियमानुसार उनके यात्रा भत्ता विपत्र का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेगें।

10. वित्तीय वर्ष 2018–19 में यात्रा भत्ता मद अन्तर्गत आवंटित राशि (पूर्व में आवंटित राशि सहित) की शत–प्रतिशत निकासी/व्यय नहीं करने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष के अन्त में यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि क्षेत्र भ्रमण/बैठक प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर जाने वाले किसी पदाधिकारी/कर्मी को यात्रा भत्ता देय नहीं है।

11. व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें/संविदा सेवायें मद में आवंटित राशि में से निदेशालय द्वारा चयनित एजेंसी से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय परिचारी एवं स्वीकृत बल के विरुद्ध वाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त वाहन चालक के पारिश्रमिक का भुगतान किया किया जाना है। जिन कार्यालयों में वाहन चालक का पद स्वीकृत नहीं है, उनके पारिश्रमिक भुगतान हेतु राज्य योजना उप शीर्ष– 0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की गई है।

12. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998, बिहार वित्त नियमावली एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहायक　　प्रशाखा पदा०　　उप निदे०(ले०)　　संयुक्त नि०(प्र०)　　निदेशक

ज्ञापांक 07 / पटना, दिनांक 04.10.18

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक

ज्ञापांक 07 / पटना, दिनांक 04.10.18

प्रतिलिपिः 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक 07 / पटना, दिनांक 04.10.18

प्रतिलिपिः 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. वरीय संयुक्त निदेशक /संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने एवं निर्गत करने हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश है कि आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई–मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक